

स्पीड पोस्ट/फैक्स

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :-

दिनांक-21.03.2013 को उग्रवादियों द्वारा हत्या किए जाने के फलस्वरूप मृतक स्व0 अजीत सिंह, पिता-श्री गोपाल सिंह, ग्राम-सूदी विगहा, पोस्ट-थाना-देव, जिला-औरंगाबाद की आश्रिता पत्नी मोसमात अविता कुंवर को विभागीय संकल्प सं0-4624 दिनांक-16.05.2012 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान की राशि ₹ 1,00,000 (एक लाख) के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद के पत्रांक-212/आ0प्र0 दिनांक-14.05.2016 एवं स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-197/आ0प्र0 दिनांक-17.06.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पदाधिकारी, औरंगाबाद को आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को कुल आवंटित राशि।
₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये मात्र।	₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र।	₹ 6,00,000/- (छः लाख) रुपये मात्र।

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-22 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम-उपशीर्ष-0004-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या- N2235602000004) के अन्तर्गत विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।
3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद होंगे।
4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायगी।
5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की होगी।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा मात्र उक्त पीडित व्यक्ति/मृतक के आश्रित/आश्रिता को अनुग्रह-अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
7. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय-विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2016-17 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-13/2016...../

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-13/2016...../

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद  
/वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक -ए/मु0-44-13/2016...../

प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-13/2016...../

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

*Intend*  
25.07.16  
सरकार के विशेष सचिव

*Suresh*  
25/7/16